

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या (1-4) 129, 130, 137 एवं 138/2014 जिला - जयपुर.....


उनवान : मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज-प्रथम, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/12/2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u> <u>आशा कुमारी, सदस्य</u></p> <p>उपरोक्त चारों विविध प्रार्थना-पत्रों में से 129/2014 (अपील संख्या 1529/2014) एवं 130/2015 (अपील संख्या 1530/2014) व्यवहारी द्वारा एवं 137/2014 तथा 138/2014 (अपील संख्या 1529 व 1530/2014) विभाग की ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1529 व 1530/2014 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 10.09.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेशों से प्रकरणों में बकाया वसूली राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.09.2014 की प्राप्ति से तीन माह तक तक बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अवधि में अपीलार्थी द्वारा बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा ये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने हेतु अवधि बढ़ाये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>विभाग की ओर से कथन किया गया कि अपीलों में टेबलेट की कर दर निर्धारण सम्बन्धी विधिक बिन्दु विवादित है, जिसके निस्तारण हेतु प्रकरणों का विस्तृत रूप से अध्ययन व परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिसमें समय लगना संभावित है। अतः उक्त प्रकरणों का निस्तारण हेतु कर बोर्ड द्वारा दी गई अवधि में तीन माह की वृद्धि करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी व विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा की बहस सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा अपील संख्या 1529 व 1530/2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.09.2014 में दिये गये स्थगन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर इस</p>	

आदेश की प्राप्ति से दो माह की अवधि बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि तक समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश दिनांक 10.09.2014 से स्थगित राशियां नियमानुसार वसूलनीय होंगी।

इस आदेश की एक-एक प्रति चारों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

अपीलार्थी व्यवहारी एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना-पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

 11/12/14

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर



सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर